XXXIX(a)BR(H)-11

शेख कासम विरूद्ध शेख मोहम्मद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3132-दो/14

जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-9-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण रास्ता का होकर तहसीलदार ने अंतरिम आदेश द्वारा जांच करके यह सिद्ध होने पर कि बैलगाड़ी का रास्ता अवरूद्ध किया गया है अंतरिम आदेश द्वारा रास्ता खोलने के आदेश दिए हैं । प्रकरण में आगे कार्यवाही कर आदेश पारित होना है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्वमंडल ग्वालियर कैंप जबलपुर म.प्र.

पुनरीक्षण कमांक /14

आवेदक :-
पुनरीक्षणकर्ता

शेख कासम बल्द शेख बुद्धू मुसलमान
निवासी ग्राम तिगांव तहसील पांढुरना
जिला छिंदवाडा म.प्र.

विरूध्द

अनावेदकगणः-

1. शेख मोहम्मद बल्द पीर मोहम्मद
2. बली मोहम्मद बल्द पीर मोहम्मद
3. गुल मोहम्मद बल्द पीर मोहम्मद
सभी निवासी ग्राम तिगांव तहसील
पांढुरना जिला छिंदवाडा म.प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 59

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पांढुरना जिला छिंदवाडा द्वारा प्र.क्र. 7/अ-13/2012-13 में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.05.14 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यो एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन वास्ते आवेदक के कृषि भूमि का आवागमन का पूर्ववत रास्ता अनावेदक द्वारा बंद को अबिलंब खोले जाने हेतु माननीय तहसीलदार पांढुरना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रस्तुत आवेदन का खंडन किया जाकर यह अभिवचन लिया गया कि अनावेदकगणों के खेत का रास्ता करीमशेख के खेत के बाजू वाले कृषक अशोक सिंदे व कोल्हे के खेत की मेड से पूर्व से चलर अर रहा है अनावेदकगणों द्वारा झूठा आवेदन प्रस्तुत कर केवल पुनरीक्षणकर्ता को परेशान किये जाने की नियत से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2. यह कि माननीय तहसीलदार पांढुरना द्वारा बगैर समुचित अभिलेख का परीक्षण किये प्रस्तुत हितबद्ध साक्षियों के शपथपत्र पर विश्वास कर पटवारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार किये गये प्रतिवेदन पर विश्वास कर दिनांक 24.05.2014 को आलोच्य आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के आधार

अ. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2014तथ्यों एवं विधि प्रकिया के विपरीत पारित कर गंभीर भूल की है।